कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक–2722/FP/UK/OTHERS/6951/2014 :देहरादून:दिनांकः 27 मार्च, 2015

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त,
पौड़ी।

विषयः– जनपद–रूद्रप्रयाग के स्थान जखोली में रिर्पोटिंग पुलिस चौकी के भवन निर्माण हेतु 0.260 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु पुलिस विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः– इस कार्यालय को पत्रांक 2423/ FP/UK/OTHERS/6951/2014 दिनांक 27–02–2015

महोदय,

इस कार्यालय के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में कतिपय सूचना चाही गयी थी, जिसके क्रम में कतिपय सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है। "**उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत प्रकरण में पूर्व में पुलिस चौकी माई की मणी के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 0.104 हे0 वन भूमि प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रेषित किया गया था, जिसमें भारत सरकार के पत्र संख्या 8बी/यू0सी0पी0/09/227/2010/एफ0सी0/2245 दिनांक 17–01–2011 के द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति केवल कार्यालय भवन के लिए दी जा सकती है आवासीय भवन के लिए वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति सम्भव नहीं है। अतः यदि राज्य सरकार कार्यालय भवन के लिए स्वीकृति चाहती है तो 74 वर्गमीटर क्षेत्रफल मानचित्र सहित एक संशोधित प्रस्ताव प्रेषित करें, जिसमें वन संरक्षण अधिनिमय, 1980 के तहत विचार किया जा सकता है।** "

2– उक्त के क्रम में पुलिस विभाग द्वारा पुनः 0.260 हे0 आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव ऑन लाईन प्रेषित किया गया, जिसके क्रम में इस कार्यालय के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा कतिपय सूचना चाही गयी थी। उक्त सूचना के क्रम में पुलिस विभाग द्वारा एक ले–आउट प्लान प्रेषित किया गया है जिसमें पुलिस कार्यालय भवन एवं आवासीय भवनों का प्लान भी प्रेषित किया गया है, परन्तु प्लान में कार्यालय भवनों के निर्माण हेतु याचित वन भूमि का माप (Dimension) नहीं दिया गया है, जिससे यह पता नहीं चल पा रहा है कि पुलिस विभाग को कार्यालय भवनों के निर्माण हेतु वास्तविक रूप में कितनी भूमि की आवश्यकता है।

अतः प्रश्नगत प्रकरण में यदि पुलिस विभाग द्वारा भारत सरकार के उपरोक्त उल्लिखित पत्र दिनांक 17–01–2011 के द्वारा वांछित सूचनाओं को सम्मिलित करते हुये संशोधित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव प्रेषित किया जाता है तो प्रकरण को भारत सरकार को स्वीकृति प्रदान करने हेतु भेजे जाने पर विचार किया जाना सम्भव होगा, तद्नुसार प्रस्तावक विभाग को भी सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एस0टी0एस0 लेप्चा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या /FP/UK/OTHERS/6951/2014 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी, जनपद–रूद्रप्रयाग।
3. पुलिस अधीक्षक, जनपद–रूद्रप्रयाग।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

(एस0टी0एस0 लेप्चा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी